

चेकलिस्ट-4 'ख'

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं अन्य बहुखण्डीय भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र
के लिए निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :	97/130/CE/KPA/16-17 Dt. 14/07/2016
आवेदक का नाम :	महेश्वर प्रसाद चौधरी
आवेदक का वर्तमान पता:	कमलिका, मौली, कौली
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.	वैभव मोहन, C.A./2014/62584
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लॉट सं. 276, 280, 281 व अर्ध
	ग्राम/योजना का नाम गाँव पाली, गंगा, गंगा
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	172.40 मी. 98 मी. 2
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या	R/104/CE/P/KPA/16-17 Dt. 16/07/2016
शमन मानचित्र के अनुमोदन की परमिट संख्या तथा तिथि (जहां लागू हो)	—
शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियां/रसीद संख्या/संख्याएं (जहां लागू हो)	—

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी	
		स्वीकृति/शमन मानचित्र के अनुसार	मीके के अनुसार
1.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर)	24.00 म	24.00 म
2.	रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट तथा महायोजना मार्ग हेतु छोड़ी गयी भूमि की स्थिति (जहां लागू हो)	—	—
3.	खुले स्थल, पार्क एवं कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	—	—
4.	सेट बैक (मीटर में)	(क) अग्र	6.00 म
		(ख) पार्श्व-1	6.00 म
		(ग) पार्श्व-2	6.00 म
		(घ) पृष्ठ	6.00 म
5.	बेसमेन्ट (यदि स्वीकृत है)	—	—
	(i) बेसमेन्ट की संख्या	—	—
	(ii) क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	—	—
	(iii) रैम्प (चौड़ाई एवं ढाल/ग्रेडिएन्ट)	—	—
	(iv) सीढ़ी	चौड़ाई (मी.)	1.20
		राइज़र (मी.)	0.15
		ट्रेड (मी.)	0.30

(iii) बेसमेन्ट प्लान का स्वीकृत मानचित्र से मिलान		—	—
6.	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	15.83 %	15.83 %
7.	एफ.ए.आर.	0.79	0.79
8.	स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई (यदि स्वीकृत है)	—	—
9.	कट आउट / डक्ट का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में)	—	—
10.	प्रोजेक्शन्स / छज्जे / बालकनी आदि	है (2103) 800	है (2103) 800
11.	पार्किंग की संख्या एवं क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	(क) खुले क्षेत्र में	800
		(ख) कवर्ड पार्किंग	—
		(ग) बेसमेन्ट पार्किंग	—
12.	भवन की ऊँचाई (मीटर में)	15.00 मी.	15.00 मी.
13.	मंजिलों की संख्या	5	5
14.	सर्विस फ्लोर की संख्या एवं ऊँचाई (जहां लागू हो)	—	—
15.	आवासीय इकाईयों की संख्या (ग्रुप हाउसिंग हेतु)	800	800
16.	लिफ्ट का आकार एवं संख्या	2.12 x 2.05 (40)	2.12 x 2.05 (40)
17.	अग्निशमन की अपेक्षाओं का अनुपालन	—	—
18.	सामुदायिक सुविधाएं यथा—सुविधाजनक दुकानें, स्कूल, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र आदि की स्थिति	—	—
19.	वृक्षारोपण की स्थिति	है	है
20.	ऑप्टिकल फाइबर एवं टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु डक्ट का प्राविधान	—	+
21.	पाइपड नेचुरल गैस का प्राविधान (जहां लागू हो)	—	—
22.	अवस्थापना सुविधाएं (हैं/ नहीं में)	(क) जल आपूर्ति	है
		(ख) मलोत्सारण	है
		(ग) जल निकास	है
		(घ) विद्युत आपूर्ति	है
		(छ) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में)	—
23.	पर्यावरणीय स्वीकृति (हैं/ नहीं में) जहां लागू हो	—	—
24.	दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों की स्थिति (हैं/ नहीं में)	—	—
25.	ई.सी.बी.सी. कोड के अनुपालन की स्थिति	—	—
26.	वेस्ट वाटर रिसाइलिंग सिस्टम, एस.टी.पी. का प्राविधान पूर्ण एवं संचालित अवस्था में (हैं/ नहीं में)	—	—



कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जोन-2

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

पत्रांक:- डी/655/अ0अ0-2/का0वि0प्रा0/2019-20

दि0- 14-11-2019

सचिव रेरा

कृपया अपने पत्र संख्या 5-15/यू0पी0.रेरा/2019 दिनांक 11.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि

क्रम सं०	कार्य का नाम	रेरा रजिस्ट्रेशन नं०
1.	समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत शताब्दी नगर फेस 1 व 2 पाकेट बी मे 800 एम0आई0जी0 (जी+4) भवनो का निर्माण कार्य।	UPRERAPRJ4666

का कम्प्लीशन (संलग्न फार्म के अनुसार) अप्लाई किया जा चुका है। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा।


अधिशाषी अभियन्ता जोन-2